वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जून 2016–ज्येष्ठ 27, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

मेरा पुत्र नमन सिंघल पुत्र एस. के. सिंघल जो हैप्पीडेज स्कूल से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर वर्तमान कक्षा 9 में अध्यनरत है. स्कूल में उसका नाम नमन सिंघल के नाम से दर्ज है अब नाम परिवर्तन कर नमन अग्रवाल पुत्र श्रवण कुमार अग्रवाल एवं माताजी श्रीमति ज्योति अग्रवाल के नाम से जाना जाए.

अतः स्कूल.में नाम परिवर्तन हेतु सूचना मान्य की जाए.

सूचनाकर्ता
श्रवण कुमार अग्रवाल,
पुत्र–श्री महावीरप्रसाद अग्रवाल,
निवासी—हलवाईखाना, शिवपुरी.

(155–बी.)

उप-नाम परिवर्तन

समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों/शासकीय/अशासकीय कार्यालयों में तथा मेरे नियोक्ता मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल में मेरा नाम नरेन्द्र पाल पंजाबी पुत्र श्री रोशन लाल पंजाबी था, आगे से मुझे सभी दस्तावेजों एवं उपर्युक्त संस्थाओं में नरेन्द्र पाल अरोरा पुत्र श्री रोशन लाल पंजाबी के नाम से जाना जायें.

पुराना नाम :

(नरेन्द्र पाल पंजाबी)

नया नाम :

(नरेन्द्र पाल अरोरा)

निवासी–शिव आशीष गुरूद्वारा मार्ग,
स्वर्णकार कॉलोनी, विदिशा (म.प्र.)464001.

(156–बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सुषमा नैन पत्नी स्व. श्री प्रेम सिंह नैन, कॉलोनी नं. 3, मकान नं. 1, शब्दप्रताप आश्रम, लश्कर, ग्वालियर 474012 म.प्र. सूचित करती हूँ कि, मेरा पूर्व में नाम ऊषा पुत्री स्व. श्री पीतम सिंह हैं. भविष्य में मुझे श्रीमती सुषमा नैन के नाम से जाना, पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(ऊषा)

नया नाम :

(सुषमा नैन)

(159–बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, रामनरेश दुबे, उम्र 40 वर्ष वल्द स्व. श्री हरप्रसाद दुबे, निवासी रजाखेडी, पोस्ट मकारोनिया, तह. व जिला सागर—1. यह कि मैं उक्त स्थान का स्थाई निवासी हूँ, 2. यह कि मेरे दो नाम प्रचलित हैं मेरा चालू नाम नरेश एवं सही नाम रामनरेश है दोनों नाम मेरे ही हैं तथा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, 3. यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा चालू नाम नरेश पिता स्व. श्री हरप्रसाद दुबे दर्ज हो गया है लेकिन मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम रामनरेश दुबे पिता स्व. श्री हरप्रसाद दुबे दर्ज है, 4. यह कि मेरे समस्त दस्तावेजों में रामनरेश दुबे पिता स्व. श्री हरप्रसाद दुबे दर्ज होने के कारण मुझे इसी नाम से जाना एवं पढ़ा जाये. यदि कोई व्यक्ति उक्त नाम पर दावा या आपत्ति करते हैं तो उसकी सम्पूर्ण जबावदारी मेरी रहेगी.

पुराना नाम :

(नरेश दुबे)

नया नाम :

(रामनरेश दुबे)

पिता-स्व. श्री हरप्रसाद दुबे,
निवासी—रजाखेडी, पोस्ट मकारोनिया,
तह. व जिला सागर.

(157-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सुलोचना दुबे, उम्र 36 वर्ष , पत्नी श्री रामनरेश दुबे, निवासी रजाखेडी, पोस्ट मकारोनिया, तह. व जिला सागर—1. यह कि मैं उक्त स्थान की स्थाई निवासी हूँ, 2. यह कि मेरे दो नाम प्रचलित हैं शादी के पूर्व मेरा नाम सुलोचना पिता स्व. श्री गोरीशंकर पाण्डे प्रचलित था लेकिन मेरी शादी हो जाने के बाद मेरा नाम श्रीमती चाँदनी पति श्री रामनरेश दुबे, निवासी रजाखेडी हो गया था. यह कि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती सुलोचना दुबे पति श्री रामनरेश दुबे होने के कारण अब वर्तमान में मुझे श्रीमती सुलोचना दुबे पति श्री रामनरेश दुबे, निवासी रजाखेडी, तह. व जिला सागर के नाम से जाना एवं पढ़ा जाना आवश्यक है. उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं तथा दोनों नाम एक ही महिला के हैं. यदि कोई महिला उक्त नाम पर दावा या आपत्ति करती हैं तो उसकी जबावदारी मेरी रहेगी.

पुराना नाम :

(चांदनी दुबे)

नया नाम :

(सुलोचना दुबे)

पति-श्री रामनरेश दुबे,
निवासी—रजाखेडी, पोस्ट मकारोनिया,
तह. व जिला सागर.

(158-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, उर्वशी दीक्षित उर्फ उर्वशी चौधरी ने विवाह पश्चात् अपना नाम परिवर्तन कर श्रीमती उर्वशी रघुवंशी पति श्री शिव रघुवंशी कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(उर्वशी दीक्षित उर्फ उर्वशी चौधरी)

नया नाम :

(उर्वशी रघुवंशी)

पति-श्री शिव रघुवंशी,
पता—1170-बी, स्कीम नंबर 71,
रणजीत हनुमान मंदिर के पीछे, इन्दौर (म.प्र.).

(160-बी.)

CHANGE OF SURNAME

I, Here by declare that just before marriage my surname was ANKIT CHANODIA, but now after marriage we have changed my surname as ANKITA CHANODIA to ANKITA CHOPRA. Henceforth now & after that, my name will be known & written as ANKITA CHOPRA.

Old Name :

(ANKITA CHANODIA)

New Name :

(ANKITA CHOPRA)
60, Shikshak Nagar,
Airport Road, Indore (M.P.).

(161-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, अशोक कुमार पिता गणपति महाजन, वर्ष 1981 से अपने पुराने नाम का त्याग करता हूँ और अपना नया नाम अशोक कुमार महाजन पिता गणपति महाजन रखता हूँ, मुझे इसी नये नाम अशोक कुमार महाजन पिता गणपति महाजन से भविष्य में जाना जावेगा.

पुराना नाम : नया नाम :

(अशोक कुमार) **(अशोक कुमार महाजन)**

पिता-गणपति महाजन,
निवासी-ई-15, ज्योति नगर,
(162-बी.) जी. डी. सी. के सामने उज्जैन (म.प्र.).

सूचना

सर्व-साधारण की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि, भागीदारी फर्म सरस्वती काटन जीनिंग इन्डस्ट्रीज, मंदसौर (फर्म रजिस्ट्रेशन क्रमांक 22/97-98, दिनांक 02 फरवरी, 1998) की रचना में दिनांक 01-04-2010 से भागीदारी लेख दिनांक 01-04-2010 के अनुसार निम्न प्रकार परिवर्तन हुआ है.—

1. नंदराम रतनलाल संयुक्त हिन्दु परिवार की ओर से भागीदारकर्ता श्री रतनलाल दिनांक 01-04-2010 से भागीदारी फर्म से रिटायर हो गए हैं.
2. दिनांक 01-04-2010 से निम्नांकित संयुक्त हिन्दु परिवार उनके कर्ताओं के जर्ये उक्त भागीदारी फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं.—
   (अ) पारसमल रतनलाल HUF जर्ये कर्ता पारसमल
   (आ) दशरथमल रतनलाल HUF जर्ये कर्ता दशरथमल
   (इ) राजमल रतनलाल HUF जर्ये कर्ता राजमल
   (ई) नरेन्द्रकुमार रतनलाल HUF जर्ये कर्ता नरेन्द्रकुमार.

फार-सरस्वती काटन जीनिंग इन्डस्ट्रीज, मंदसौर,
राजमल रतनलाल,
(163-बी.) (भागीदार).

जाहिर सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि, मैसर्स श्री गणपतलाल ओंकारलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, स्वास्तिक हाउस, 21/3, रतलाम कोठी, इन्दौर भागीदारी फर्म जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00039/08, दिनांक 04-06-2008 है, में भागीदार स्वस्तिक कोल कार्पोरेशन प्रा. लि., 109, स्नेह नगर, इन्दौर को दिनांक 01-04-2016 से भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अन्तर्गत रिटायर्ड हो गये हैं.

मैसर्स—श्री गणपतलाल ओंकारलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी,
(164-बी.) **तर्फे-विष्णु पसाद बिंदल.**

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, भागीदारी फर्म मेसर्स शिलाका कन्स्ट्रक्शन स्थान ग्राम बाग, तहसील कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश भारत के एक भागीदार श्री अरूण कुमार पिता श्री बाबूलाल शिलाका दिनांक 31-03-2016 से अपनी स्वेच्छा से इस भागीदारी फर्म से पृथक् हो गये हैं एवम् दिनांक 01-04-2016 से अन्य एक भागीदार श्री बाबूलाल पिता श्री वरदीचंद शिलाका उक्त भागीदारी फर्म मेसर्स शिलाका कन्स्ट्रक्शन में भागीदार की हैसियत से शामिल हो गये हैं अर्थात् अब दिनांक 01-04-2016 से इस भागीदारी फर्म मेसर्स शिलाका कन्स्ट्रक्शन में निम्नलिखित भागीदारी हैं:-

1. श्री संजय पिता श्री बाबूलाल शिलाका,
2. श्री बाबूलाल पिता श्री वरदीचंद शिलाका.

उपरोक्त फर्म में भागीदारों के परिवर्तन होने से अगर किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक या अन्य संबंधित को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह इस जाहिर सूचना प्रकाशन के 7 दिन की अवधि में सप्रमाण मेरे कार्यालय में उपस्थित होवें, नियत समय अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी. सो सूचित हो.

भवदीय
(165-बी.) **सतीश पटेल.**

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मै. ओम सांई गिरिराज वैष्णो कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, रजिस्ट्रेशन नं. 02/39/01/00196/10-2009-10, दिनांक 23-03-2010 की भागीदारी फर्म से श्री रामस्वरूप यादव पुत्र स्व. श्री रामदयाल यादव दिनांक 25-04-2016 से अलग हो रहे हैं तथा उनके स्थान पर श्रीमती सरिता यादव पत्नी श्री रितुराज यादव फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं. इसके संबंधित अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो 15 दिनों के अंदर निम्नलिखित पते पर सूचित करें.

मै. ओम सांई गिरिराज वैष्णो कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
रितुराज यादव,
(भागीदार)
322, रिछरा फाटक दतिया.

(166-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स रमा इन्फ्रा डवलपर्स पंजीयन क्रमांक 02/41/01/00078/07, दिनांक 05-01-2007 स्थित कोठी नं. 7, के पीछे शिवपुरी है. जिसमें भागीदार तोताराम सिंह यादव पुत्र श्री छेदालाल यादव की मृत्यु दिनांक 08-05-2014 को जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं श्रीमती रेखा यादव पुत्री स्व. श्री अव्वल सिंह यादव, निवासी कोठी नं. 7 के पीछे, शिवपुरी, दिनांक 29-05-2014 को फर्म में सम्मिलित हो गई हैं. आम-जन एवं सर्वजन सूचित हो.

फर्म-मै. रमा इन्फ्रा डवलपर्स,
धर्मेन्द्र सिंह यादव,
(भागीदार)
कोठी नं. 7 के पीछे, शिवपुरी (म.प्र.).

(167-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स अंजाला कंस्ट्रक्शन जिसका साझेदारी पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00070/07, दिनांक 26-06-2007 से भोपाल में पंजीकृत है. मेसर्स अंजाला कंस्ट्रक्शन के भागीदारों में 1. श्री सैयद मिनहाज अज़मत पुत्र श्री सैयद अजमत अली, 2. श्री सैयद इरफान हसन पुत्र श्री सैयद इमादुल हसन, 3. श्रीमति आमना फिरदौस पत्नि श्री सैयद मिनहाज अजमत, 4. श्रीमति सादिया हसन पत्नि श्री सैयद इरफान हसन थे.

उसके बाद दिनांक 27-04-2009 को श्री ए. मित्रा पुत्र श्री डॉ. आर. एन. मित्रा भागीदारी में दाखिल हुये.

उसके बाद दिनांक 01-04-2011 को भागीदारी में से श्रीमति आमना फिरदौस पत्नि श्री सैयद मिनहाज अजमत, श्रीमति सादिया हसन पत्नि श्री सैयद इरफान हसन और श्री ए. मित्रा पुत्र श्री डॉ. आर. एन. मित्रा भागीदारी व्यवसाय से अलग हो गये.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जा रहा है कि, वर्तमान में फर्म के दो साझेदार हैं. 1. सैयद मिनहाज अजमत पुत्र श्री सैयद अजमत अली, 2. श्री सैयद इरफान हसन पुत्र श्री सैयद इमादुल हसन और भागीदारी में समस्त लाभ-हानि और समस्त दायित्व में दोनों 50-50 प्रतिशत के भागीदार होंगे.

भवदीय
शैलेश साहू एण्ड एसोसिएट,
(कर सलाहकार)
प्लाट नं. 21 नियर होटल आदित्य पैलेस,
जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.).

(168-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स गौरव कंस्ट्रक्शन कं. जिसका साझेदारी पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00397/10, दिनांक 25-03-2010 से एल आई जी एस आर 23 हर्षवर्धन नगर, भोपाल म.प्र. में पंजीकृत है. मेसर्स गौरव कंस्ट्रक्शन कं. के भागीदारों में 1. श्री गौरव सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, आयु-वयस्क, 2. श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री स्व. डी. पी. सिंह, आयु-वयस्क है. जिसमें दिनांक 19-03-2016 से श्री गजेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री लाखन सिंह चौहान नये भागीदार साझेदारी में शामिल हो रहे हैं.

भवदीय
शैलेश साहू एण्ड एसोसिएट,
(कर सलाहकार)
प्लाट नं. 21 नियर होटल आदित्य पैलेस,
जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.).

(169-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मैसर्स वैष्णो बिल्डर्स स्थित पिपरसानिया मौहल्ला, छतरपुर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 06/12/01/00021/09 एवं दिनांक 09-07-2009 है. जिसमें दिनांक 01-04-2011 को भागीदार श्री स्वामी प्रसाद पौराणिक तयन

श्री नत्थू लाल पौराणिक, वार्ड नं. 09, लोधी कुइया, छतरपुर मध्यप्रदेश एवं श्री हाकिम सिंह तनय श्री घनश्याम सिंह ठाकुर, बिसनपुर, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं श्री हरगोविन्द रैकवार तनय श्री गुलले रैकवार, ग्राम गुदनवारा, तहसील टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं श्री मथुरा प्रजापति तनय श्री दुलीचन्द्र प्रजापति, ग्राम गुदनवारा, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं. आमजन एवं सर्व-साधारण सूचित हों.

मैसर्स वैष्णो बिल्डर्स

शशिकान्त चतुर्वेदी,

(भागीदार)

(171-बी.) पिपरसानिया मौहल्ला, छतरपुर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैसर्स रामस्वरूप यादव रजिस्ट्रेशन नं. 02/42/01/00125/09-2009-10, दिनांक 28-10-2009 की भागीदारी फर्म से श्री रितुराज यादव पुत्र श्री रामस्वरूप यादव दिनांक 25-04-2016 से अलग हो रहे हैं तथा उनके स्थान पर श्री पुष्पराज यादव पुत्र श्री रामस्वरूप यादव फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं. इसके संबंधित अगर किसी को कोई आपत्ति हो, तो 15 दिनों के अंदर निम्नलिखित पते पर सूचित करें.

मैसर्स रामस्वरूप यादव

रामस्वरूप यादव,

(पार्टनर)

(170-बी.) 322, रिछरा फाटक, दतिया.

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स स्वस्तिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका रजिस्टर में क्रमांक 03/27/01/0273/15, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 एवं पता-आर-592, महालक्ष्मी नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश जो कि, एक भागीदारी फर्म है. उक्त भागीदारी फर्म में— 1. श्री मनमीत सिंह अरोरा, 2. श्री महेन्द्र दिवाकर एवं 3. श्री समीर हार्दिकर तीन भागीदार थे. जिसमें से श्री समीर हार्दिकर दिनांक 06-05-2016 को फर्म से पूर्ण रूप से अलग हो गये हैं. अत: अब उक्त फर्म का संचालन श्री मनमीत सिंह अरोरा एवं श्री महेन्द्र दिवाकर जी कर रहे हैं. सो विदित हो.

मैसर्स स्वस्तिक इंफ्रास्ट्रक्चर,

1. श्री मनमीत सिंह अरोरा,

2. श्री महेन्द्र दिवाकर

(172-बी.) (भागीदार).

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास

देवास, दिनांक 12 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/921.—सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 374, दिनांक 13 नवम्बर, 1981 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के अध्यक्ष द्वारा पत्र दिनांक 20-07-2015 द्वारा निवेदन किया गया है कि संस्था का जिस उद्देश्य के लिये गठन किया गया था. वह उद्देश्य पूर्ण किया जा चुका है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाये. संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परि./2015/1533, देवास, दिनांक 04 सितम्बर, 2015 जारी किया गया था कि संस्था के बंद होने पर क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर दिया जाये. परन्तु निर्धारित समयावधि में किसी भी संचालक द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है. संस्था के अंकेक्षक द्वारा अपनी अंकेक्षण टीप में भी संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था द्वारा अपने समस्त उद्देश्यों की पूर्ति कर ली गयी है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 374, दिनांक 13 नवम्बर, 1981 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. के. तिवारी, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

के. एन. त्रिपाठी,

(453-A) उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

जय अम्बे प्राथ. साख सहकारी समिति मर्या., टेलापार.

विषयः- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

सन्दर्भः- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/961.—विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है:-

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को ''द'' वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि.
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपकों उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(443)

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

प्रगति महिला साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद.

विषयः- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

सन्दर्भः- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/961.—विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है:-

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को ''द'' वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि.
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(443-A)

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

सहकारिता विभाग कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद.

विषयः- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

सन्दर्भः- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/961.—विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है:-

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को ''द'' वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि.
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(443-B)

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बमुरिया.

विषयः- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

सन्दर्भः- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/961.—विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है:-

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को ''द'' वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि.
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(443-C)

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

सुदर्शन उन्नत बीज उत्पादक क्रय-विक्रय
सहकारी समिति मर्या., निरखी.

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/961.—विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है:-

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को ''द'' वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि.

2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करतां हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(443-D)

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,
समनापुर, तहसील पिपरिया.

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/961.—विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है:-

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को ''द'' वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि.

2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(443-E)

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी
समिति मर्या., खड़ंपावड़.

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/961.—विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है:-

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को ''द'' वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि.

2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

3. संस्था जिन उद्देश्यों कें लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(443-F)

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य
सहकारी समिति मर्या., कोश्मी.

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/961.—विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा

सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है:-

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को ''द'' वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि.

2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(443-G)

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य
सहकारी समिति मर्या., माना.

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/961.—विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है:-

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को ''द'' वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि.

2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(443-H)

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

श्रद्धा प्राथमिक साख सहकारी समिति मर्या., इटारसी.

विषयः- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

सन्दर्भः- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/961.—विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है:-

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को "द" वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि.

2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(443-I)

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

जिझौतिया प्राथमिक साख सहकारी समिति मर्या., इटारसी.

विषयः- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

सन्दर्भः- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/961.—विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था कों परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है:-

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को "द" वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि.

2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(443-J)

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चौकीपुरा.

विषयः- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

सन्दर्भः- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/961.—विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है:-

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को ''द'' वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि.
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(443-K)

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, माथनी..

विषयः- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

सन्दर्भः- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/961.—विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है:-

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को ''द'' वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि.
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(443-L)

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

माँ जगदम्बा प्राथ. साख सहकारी समिति मर्या.,

मरकुली, तहसील विपरिया.

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/961.—विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है:-

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को "द" वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि.

2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(443-M)

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

बलराम प्राथ. साख सहकारी समिति मर्या., बेदर.

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/961.—विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है:-

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को "द" वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि.

2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(443-N)

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

महालक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति

मर्या., जमाड़ा.

विषयः- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

सन्दर्भः- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/961.—विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है:-

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को ''द'' वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि.

2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(443-O)

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

राधास्वामी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति

मर्या., सिंगपुर.

विषयः- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

सन्दर्भः- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/961.—विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है:-

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को ''द'' वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि.

2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(443-P)

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
शैलपुत्री अम्बे महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति
मर्या., पनारी.

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/961.—विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है:-

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को ''द'' वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि.
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(443-Q)

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
जय भवानी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति
मर्या., पिपरिया.

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/961.—विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा

सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है:-

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को ''द'' वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि.

2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(443-R)

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/928.—सोहन दीप नागरी साख सहकारी समिति मर्या., गुजरवाड़ा, पंजीयन क्रमांक 3226, दिनांक 17 जून, 2015 को निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था :-

1. संस्था प्रबंधक, संस्था की गतिविधि में कोई रुचि नहीं लेने एवं प्रशासक की बैठकों में उपस्थित नहीं होने.

2. संस्था अंकेक्षक द्वारा संस्था को वर्ष 2010-11 से 2013-14 की टीपों में 'द' वर्ग दिया गया है.

3. संस्था सदस्य संस्था को चलाने के इच्छुक नहीं है.

4. संस्था सदस्यों के ऋणी नहीं होने से सभी सदस्य निर्वाचन हेतु अपात्र हैं.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया, अत: उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि संस्था को अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है संस्था साधारणत: सदस्यों के हित में कार्य न करते हुए व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित में संचालित हो रही है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत सोहन दीप नागरी साख सहकारी समिति मर्या., गुजरवाड़ा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत डी. एस. दुबे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(443-L)

होशंगाबाद, दिनांक 12 मई, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवपुर.

विषयः- कारण बताओ सूचना-पत्र धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

क्र./परि./2016/930.—विषयान्तर्गत लेख है कि संस्था द्वारा सदस्यों के हित में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं किया जा रहा है. पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं करना एवं संस्था की वर्ष 2014-15 की अंकेक्षण टीप अवलोकन में पाया गया संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना हैं तथा आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(443-M)

होशंगाबाद, दिनांक 12 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/929.—महालक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पांजराकलां, पंजीयन क्रमांक 3093, दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2015/1709, दिनांक 01 सितम्बर, 2015 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

श्री देवेन्द्र शंकर दुबे, प्रशासक, महालक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पांजराकलां का संस्था अध्यक्ष, प्रबंधक द्वारा संस्था का चार्ज नहीं देने के कारण संस्था परिसमापन में लाने की अनुशंसा प्रस्तावित की गई है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः मेरा यह समाधान हो गया है कि संस्था को अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है संस्था साधारणतः सदस्यों के हित में कार्य न करते हुए व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित में संचालित हो रही है, अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महालक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वांजराकलां को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. पाटनकर,
उप-पंजीयक.

(444)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/349.—कमला महिला प्राथ.उप.भण्डार मर्या., पानसेमल, जिसका की पंजीयन क्रमांक 259, दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2015/800, दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए, उक्त कमला महिला प्राथ.उप.भण्डार मर्या., पानसेमल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71 (1) के अन्तर्गत श्री जी. एस. तरोले, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा .

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. एस. तरोले, व. स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(445)

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/350.—ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बासवी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 99, दिनांक 29 मई, 2003 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2015/766, दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए, उक्त ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बासवी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एल. जामरे, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा .

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री बी. एल. जामरे, व. स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(445-A)

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/351.—आदर्श महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., राजपुर, जिसका की पंजीयन क्रमांक 74, दिनांक 28 अक्टूबर, 2002 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2015/809, दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए, उक्त आदर्श महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., राजपुर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. के. गुप्ता, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा .

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री व्ही. के. गुप्ता, व. स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(445-B)

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/352.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मटली, जिसका की पंजीयन क्रमांक 247, दिनांक 10 अप्रैल, 2008 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2015/791, दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए, उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मटली को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. के. गुप्ता, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा .

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री व्ही. के. गुप्ता, व. स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(445-C)

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/353.—माँ अन्नपूर्णा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., पानसेमल, जिसका की पंजीयन क्रमांक 258, दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2015/801, दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए, उक्त माँ अन्नपूर्णा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., पानसेमल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71 (1) के अन्तर्गत श्री जी. एस. तरोले, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा .

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. एस. तरोले, व. स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(445-D)

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/354.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बावड़िया, जिसका की पंजीयन क्रमांक 225, दिनांक 28 सितम्बर, 2007 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2015/794, दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए, उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बावड़िया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा .

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र सिरसाट, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(445-E)

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/355.—शक्ति पूंज ग्रामीण महिला बहु. सह. संस्था मर्या., झोलपिपरी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 122, दिनांक 16 जुलाई, 2007 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2015/765, दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए, उक्त शक्ति पूंज ग्रामीण महिला बहु. सह. संस्था मर्या., झोलपिपरी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एल. जामरे, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा .

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री बी. एल. जामरे, व. स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(445-F)

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/356.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., एकलबारा, जिसका की पंजीयन क्रमांक 224, दिनांक 28 सितम्बर, 2007 को परिसमापन में क्यों न लाया जाबे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2015/795, दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए, उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., एकलबारा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71 (1) के अन्तर्गत श्री के. सी. दशोरे, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा .

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के.सी. दशोरे, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(445-G)

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/357.—बाबा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., बड़वानी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 130, दिनांक 28 फरवरी, 2005 को

परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2015/803, दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए, उक्त बाबा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71 (1) के अन्तर्गत श्री के. सी. दशोरे, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा .

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के.सी. दशोरे, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(445-H)

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/358.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुस्तीखेड़ा, जिसका की पंजीयन क्रमांक 230, दिनांक 01 नवम्बर, 2007 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2015/792, दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए, उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुस्तीखेड़ा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71 (1) के अन्तर्गत श्री जे. एस. चौहान, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा .

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जे. एस. चौहान, व. स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(445-I)

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/359.—पींक संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., खुरमपुरा, जिसका की पंजीयन क्रमांक 30, दिनांक 30 अगस्त, 2001 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2015/776, दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए, उक्त पींक संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., खुरमपुरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71 (1) के अन्तर्गत श्री जे. एस. रावत, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा .

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जे. एस. रावत, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(445-J)

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/360.—श्री गुरुकृपा साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 471, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 को परिसमापन में लाये जाने हेतु संस्था कि वार्षिक साधारण सभा में एवं अध्यक्ष द्वारा लिखित आवेदन में परिसमापन में लाने हेतु निर्णय लिया जाकर आवेदन प्रस्तुत किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए, उक्त श्री गुरुकृपा साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71 (1) के अन्तर्गत श्री के. सी. दशोरे, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा .

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के.सी. दशोरे, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(445-K)

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/361.—श्री कमला साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 404, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को परिसमापन में लाये जाने हेतु संस्था कि वार्षिक साधारण सभा में एवं अध्यक्ष द्वारा लिखित आवेदन में परिसमापन में लाने हेतु निर्णय लिया जाकर आवेदन प्रस्तुत किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए, उक्त श्री कमला साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71 (1) के अन्तर्गत श्री जे. एस. चौहान, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा .

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जे. एस. चौहान, व. स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(445-L)

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/362.—श्री हिमालय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मण्डवाड़ा, जिसका की पंजीयन क्रमांक 461, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 को परिसमापन में लाये जाने हेतु संस्था कि वार्षिक साधारण सभा में एवं अध्यक्ष द्वारा लिखित आवेदन में परिसमापन में लाने हेतु निर्णय लिया जाकर आवेदन प्रस्तुत किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए, उक्त श्री हिमालय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मण्डवाड़ा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा .

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र सिरसाट, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(445-M)

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/363.—श्री हरि सांई साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 399, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को परिसमापन में लाये जाने हेतु संस्था की वार्षिक साधारण सभा में एवं अध्यक्ष द्वारा लिखित आवेदन में परिसमापन में लाने हेतु निर्णय लिया जाकर आवेदन प्रस्तुत किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त श्री हरि सांई साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71 (1) के अन्तर्गत श्री जे. एस. रावत, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा .

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जे. एस. रावत, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

के. एस. रघुवंशी,
सहायक रजिस्ट्रार.

(445-N)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

श्री डी. के. भारद्वाज, उप-अंकेक्षक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मडदेवरा, पोस्ट खामखेड़ा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2016 में उल्लेख किया है कि संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को किया जाना था, मेरे द्वारा संस्था अध्यक्ष/सचिव से व्यक्तिगत रूप से एवं दूरभाष पर सम्पर्क किया गया लेकिन संस्था के द्वारा सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं कराई गई, इस कारण से संस्था की सदस्यता सूची के प्रकाशन नहीं किया जा सका. संस्था अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा संस्था के निर्वाचन में रुचि नहीं ली जा रही है.

श्री डी. के. भारद्वाज के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि निर्वाचन नहीं कराने से सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मडदेवरा, पोस्ट खामखेड़ा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./845, दिनांक 28 फरवरी, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को जारी करता हूँ.

(546)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

श्री आर. के. कटारे, सहकारी निरीक्षक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बण्डवा, पोस्ट सीहोद, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2016 में उल्लेख किया है कि संस्था के सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था के अवश्यक कारण जैसे-समाचार-पत्र में विज्ञापन एवं निर्वाचन सेट हेतु आवश्यक धन राशि नहीं है. इसलिये संस्था का निर्वाचन किया जाना संभव नहीं है.

श्री आर. के. कटारे के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि निर्वाचन नहीं कराने से सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बण्डवा, पोस्ट सीहोद, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./874, दिनांक 30 मार्च, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को जारी करता हूँ.

(546-A)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/579.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार राजस्व गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 29 दिसम्बर, 1988 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये राजस्व गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/226, विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. प्रेषित सूचना-पत्र उक्त सहकारी संस्था के पंजीकृत पते पर नहीं होने से इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. उपरोक्त कारण से राजस्व गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, राजस्व गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./343, दिनांक 29 दिसम्बर, 1988 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-B)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/580.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार आरती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 11 जून, 1998 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2)

के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये आरती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/225, विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. प्रेषित सूचना-पत्र उक्त सहकारी संस्था के पंजीकृत पते पर नहीं होने से इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. उपरोक्त कारण से आरती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, आरती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./558, दिनांक 11 जून, 1998 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-C)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/581.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार विद्देश्वरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 12 अगस्त, 1996 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये विद्देश्वरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/221, विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. प्रेषित सूचना-पत्र उक्त सहकारी संस्था के पंजीकृत पते पर नहीं होने से इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. उपरोक्त कारण से विद्देश्वरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, विद्देश्वरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./548, दिनांक 12 अगस्त, 1996को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-D)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/582.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार विदिशा तेल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 22 अक्टूबर, 1999 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये विदिशा तेल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/218, विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. प्रेषित सूचना-पत्र उक्त सहकारी संस्था के पंजीकृत पते पर नहीं होने से इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. उपरोक्त कारण से विदिशा तेल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, विदिशा तेल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./587, दिनांक 22 अक्टूबर, 1999 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546- E)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/583.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार रीनू सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 6 फरवरी, 1999 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये रीनू सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/209, विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. प्रेषित सूचना-पत्र उक्त सहकारी संस्था के पंजीकृत पते पर नहीं होने से इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. उपरोक्त कारण से रीनू सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, रीनू सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./585, दिनांक 6 फरवरी, 1999 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546- F)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/584.—श्री वी. पी. पाटिल, प्रशासक एवं सहकारी निरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक निल में उल्लेख किया है. शिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा के पदाधिकारी श्री गोपीलाल नायक द्वारा संस्था का प्रभार प्रदान नहीं किया गया है और न ही संस्था का निर्वाचन करने से भी लिखित में पत्र दिया गया. संस्था को बंद करने का निवेदन किया गया है.

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/211, विदिशा, दिनांक 25 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से शिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, तह. बासौदा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, शिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./91, दिनांक 19 सितम्बर, 1962 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-G)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/585.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बरबाई, तहसील कुरवाई के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 3 मई, 1986 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित बरबाई, तहसील कुरवाई को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/207, विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. प्रेषित सूचना-पत्र उक्त सहकारी संस्था के पंजीकृत पते पर नहीं होने से इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. उपरोक्त कारण से हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित बरबाई, तहसील कुरवाई को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित बरबाई, तहसील कुरवाई पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./275, दिनांक 3 मई, 1986 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी कुरवाई को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546- H)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/586.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार जयंती स्टेशनरी प्रिंटिंग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 29 जून, 1998 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये जयंती स्टेशनरी प्रिटिंग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/271, विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. प्रेषित सूचना-पत्र उक्त सहकारी संस्था के पंजीकृत पते पर नहीं होने से इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. उपरोक्त कारण से जयंती स्टेशनरी प्रिटिंग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, जयंती स्टेशनरी प्रिटिंग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./672, दिनांक 29 जून 1998 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546- I)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/587.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार विदिशा सहकारी दुग्धालय समिति मर्यादित, विदिशा, के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 17 सितम्बर,2008 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये विदिशा सहकारी दुग्धालय समिति मर्यादित, विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/315, विदिशा, दिनांक 3 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. प्रेषित सूचना-पत्र उक्त सहकारी संस्था के पंजीकृत पते पर नहीं होने से इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. उपरोक्त कारण से विदिशा सहकारी दुग्धालय समिति मर्यादित, विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, विदिशा सहकारी दुग्धालय समिति मर्यादित, विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर./बी.एल.एस./16, दिनांक 14 दिसम्बर,1959 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-J)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/588.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कूल्हा, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 5 अक्टूबर, 2004 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके

संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कूल्हा, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/361, विदिशा, दिनांक 5 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. प्रेषित सूचना-पत्र उक्त सहकारी संस्था के पंजीकृत पते पर नहीं होने से इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. उपरोक्त कारण से एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कूल्हा, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कूल्हा, तहसील बासौदा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./698, दिनांक 5 अक्टूबर, 2004 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-K)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/589.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, लमनया, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 18 नवम्बर, 2002 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, लमनया, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/329, विदिशा, दिनांक 3 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. प्रेषित सूचना-पत्र उक्त सहकारी संस्था के पंजीकृत पते पर नहीं होने से इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. उपरोक्त कारण से कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, लमनया, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, लमनया, तहसील बासौदा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./647, दिनांक 18 नवम्बर, 2002 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-L)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/590.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, नहरिया, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 18 नवम्बर, 2002 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार

प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, नहरिया, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/330, विदिशा, दिनांक 3 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. प्रेषित सूचना-पत्र उक्त सहकारी संस्था के पंजीकृत पते पर नहीं होने से इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. उपरोक्त कारण से कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, नहरिया, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, नहरिया, तहसील बासौदा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./650, दिनांक 18 नवम्बर, 2002 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-M)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/591.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 31 जुलाई, 2007 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/359, विदिशा, दिनांक 5 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. प्रेषित सूचना-पत्र उक्त सहकारी संस्था के पंजीकृत पते पर नहीं होने से इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. उपरोक्त कारण से महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./732, दिनांक 31 जुलाई, 2007 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी नटेरन को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-N)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/592.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार खनिज उद्योग श्रमिक सहकारी संस्था मर्यादित, पठारी, तहसील कुरवाई के द्वारा

उसके पंजीयन दिनांक 16 नवम्बर,1990 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये खनिज उद्योग श्रमिक सहकारी संस्था मर्यादित, पठारी, तहसील कुरवाई को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/339, विदिशा, दिनांक 4 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. प्रेषित सूचना-पत्र उक्त सहकारी संस्था के पंजीकृत पते पर नहीं होने से इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. उपरोक्त कारण से खनिज उद्योग श्रमिक सहकारी संस्था मर्यादित, पठारी, तहसील कुरवाई को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा खनिज उद्योग श्रमिक सहकारी संस्था मर्यादित, पठारी, तहसील कुरवाई पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./351, दिनांक 16 नवम्बर, 1990 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी कुरवाई को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-O)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/593.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार रेत मुरम उत्खनन सहकारी संस्था मर्यादित, पाड़ोछा, तहसील कुरवाई के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 14 अक्टूबर, 1998 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये रेत मुरम उत्खनन सहकारी संस्था मर्यादित, पाड़ोछा, तहसील कुरवाई को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/328, विदिशा, दिनांक 3 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. प्रेषित सूचना-पत्र उक्त सहकारी संस्था के पंजीकृत पते पर नहीं होने से इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. उपरोक्त कारण से रेत मुरम उत्खनन सहकारी संस्था मर्यादित, पाड़ोछा, तहसील कुरवाई को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रेत मुरम उत्खनन सहकारी संस्था मर्यादित, पाड़ोछा, तहसील कुरवाई पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./565, दिनांक 14 अक्टूबर, 1998 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी कुरवाई को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-P)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/594.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बरेठा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 28 मार्च, 1985 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बरेठा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/208, विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बरेठा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बरेठा पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./266, दिनांक 28 मार्च, 1985 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकार, कुरवाई को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-Q)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/595.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मांझी महिला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 21 अक्टूबर, 2009 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये मांझी महिला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/200, विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से मांझी महिला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सिरोंज को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मांझी महिला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सिरोंज पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./749, दिनांक 21 अक्टूबर, 2009 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकार, सिरोंज को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-R)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/596.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार श्री सुभाष चंद बोस हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, चोड़ाखेड़ी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 16 मार्च, 1995 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये श्री सुभाष चंद बोस हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, चोड़ाखेड़ी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/202, विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से श्री सुभाष चंद बोस हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, चोड़ाखेड़ी को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा श्री सुभाष चंद बोस हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, चोड़ाखेड़ी पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./526, दिनांक 16 मार्च,1995 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी सिरोंज को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-S)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/597.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार आदर्श चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 29 जुलाई, 1974 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये आदर्श चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/201, विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से आदर्श चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सिरोंज को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा आदर्श चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सिरोंज पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./503, दिनांक 19 जुलाई, 1994 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, सिरोंज को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-T)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/598.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार श्री कृष्णा सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, शमशाबाद के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 7 मार्च, 2011 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये श्री कृष्णा सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, शमशाबाद को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/197, विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से श्री कृष्णा सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, शमशाबाद को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा श्री कृष्णा सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, शमशाबाद पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./777, दिनांक 7 मार्च, 2011 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, नटेरन को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-U)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/599.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार कृष्णा महिला सिलाई-कढ़ाई-बुनाई सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 2 जनवरी, 2004 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये कृष्णा महिला सिलाई-कढ़ाई-बुनाई सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/199, विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से कृष्णा महिला सिलाई-कढ़ाई-बुनाई सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा कृष्णा महिला सिलाई-कढ़ाई-बुनाई सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./672, दिनांक 2 जनवरी, 2004 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-V)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/600.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार श्री सिद्धबाबा हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, जम्बार के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 13 फरवरी, 1992 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये श्री सिद्धबाबा हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, जम्बार को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/206, विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से श्री सिद्धबाबा हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, जम्बार को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा श्री सिद्धबाबा हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, जम्बार पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./421, दिनांक 13 फरवरी,1992 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-W)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/601.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, कबूला के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 15 नवम्बर, 1999 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, कबूला को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/205, विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, कबूला को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, कबूला पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./588, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-X)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/602.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, टोरीटिगरा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 11 जुलाई, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, टोरीटिगरा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/204, विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, टोरीटिगरा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, टोरीटिगरा पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./795, दिनांक 11 जुलाई, 2012 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-Y)

विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/603.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, सिलपरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 02 मार्च, 2000 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, सिलपरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/203, विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, सिलपरी को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, सिलपरी पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./590, दिनांक 02 मार्च, 2000 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(546-Z)

विदिशा, दिनांक 04 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार सांची ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये सांची ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/216, विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से सांची ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सांची ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./701, दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(447)

विदिशा, दिनांक 04 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार अप्सरा महिला रेशम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये अप्सरा महिला रेशम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/220, विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से अप्सरा महिला रेशम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, अप्सरा महिला रेशम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज, पंजीयन क्रमांक 661, दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी सिरोंज को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(447-A)

विदिशा, दिनांक 05 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार श्री किसान एग्रो औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 08 अगस्त, 2003 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये श्री किसान एग्रो औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/217, विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से श्री किसान एग्रो औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, श्री किसान एग्रो औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./664, दिनांक 08 अगस्त, 2003 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री आर. एस. राज, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(447-B)

विदिशा, दिनांक 05 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 29 सितम्बर, 1981 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/224, विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./238, दिनांक 29 सितम्बर, 1981 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री आर. एस. राज, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(447-C)

विदिशा, दिनांक 05 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार विद्या बिहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 05 नवम्बर, 1965 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये विद्या बिहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/223, विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से विद्या बिहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशाको परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, विद्या बिहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./ 019, दिनांक 05 नवम्बर, 1965 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री आर. एस. राज, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(447-D)

विदिशा, दिनांक 05 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार विदिशा विजयाराजे महिला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 17 अगस्त, 1994 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये विजयाराजे महिला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/222, विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से विजयाराजे महिला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, विजयाराजे महिला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./ व्ही.डी.एस./504, दिनांक 17 अगस्त, 1994 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री आर. एस. राज, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(447- E)

विदिशा, दिनांक 11 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/634.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतवाजागीर, पोस्ट डंगरवाड़ा, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 6 फरवरी, 1999 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतवाजागीर, पोस्ट डंगरवाड़ा, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/230, विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतवाजागीर, पोस्ट डंगरवाड़ा, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतवाजागीर, पोस्ट डंगरवाड़ा, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./786, दिनांक 25 फरवरी, 2012 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड नटेरन को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(447- F)

विदिशा, दिनांक 11 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/635.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थाना, पोस्ट सांगुल, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 25 फरवरी, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थाना, पोस्ट सांगुल, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/231, विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थाना, पोस्ट सांगुल, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थाना, पोस्ट सांगुल, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./788, दिनांक 25 फरवरी, 2012 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड नटेरन को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(447-G)

विदिशा, दिनांक 11 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/636.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर, पोस्ट बरखेड़ा जागीर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 10 सितम्बर, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर, पोस्ट बरखेड़ा जागीर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/232, विदिशा, दिनांक 24 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर, पोस्ट बरखेड़ा जागीर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर, पोस्ट बरखेड़ा जागीर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./797, दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड नटेरन को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(447-H)

विदिशा, दिनांक 11 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/637.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शीलखेड़ा (हरीपुर), पोस्ट अगरा जागीर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 25 फरवरी, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शीलखेड़ा (हरीपुर), पोस्ट अगरा जागीर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/233, विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शीलखेड़ा (हरीपुर), पोस्ट अगरा जागीर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शीलखेड़ा (हरीपुर), पोस्ट अगरा जागीर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./785, दिनांक 25 फरवरी, 2012 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड नटेरन को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(447- I)

विदिशा, दिनांक 11 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/638.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रमपुरा जागीर, पोस्ट बरखेड़ा जागीर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 25 फरवरी, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रमपुरा जागीर, पोस्ट बरखेड़ा जागीर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/234, विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. प्रेषित सूचना-पत्र उक्त सहकारी संस्था के पंजीकृत पते पर नहीं होने से इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. उपरोक्त कारण से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रमपुरा जागीर, पोस्ट बरखेड़ा जागीर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रमपुरा जागीर, पोस्ट बरखेड़ा जागीर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./784, दिनांक 25 फरवरी, 2012 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड नटेरन धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(447-J)

विदिशा, दिनांक 11 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/639.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार पुलिस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 28 जुलाई, 1987 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये पुलिस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/227, विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से पुलिस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, पुलिस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा , पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./310, दिनांक 28 जुलाई, 1987 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(447-K)

विदिशा, दिनांक 11 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/640.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार शांतिनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, जिला विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 23 नवम्बर, 1985 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये शांतिनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/228, विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से शांतिनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा शांतिनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./267, दिनांक 23 नवम्बर, 1985 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(447-L)

विदिशा, दिनांक 12 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/647.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बीलखेड़ी, पोस्ट अगरा जागीर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बीलखेड़ी, पोस्ट अगरा जागीर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/240, विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बीलखेड़ी, पोस्ट अगरा जागीर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बीलखेड़ी, पोस्ट अगरा जागीर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./967, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड नटेरन को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(447-M)

विदिशा, दिनांक 12 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/648.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शालाखेड़ी, पोस्ट व तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शालाखेड़ी, पोस्ट व तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/240, विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शालाखेड़ी, पोस्ट व तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शालाखेड़ी, पोस्ट व तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./956, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड नटेरन को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(447-N)

विदिशा, दिनांक 12 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/649.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पथरई, पोस्ट मानोरा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 16 मार्च, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पथरई, पोस्ट मानोरा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/247, विदिशा, दिनांक 26 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पथरई, पोस्ट मानोरा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पथरई, पोस्ट मानोरा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./997, दिनांक 16 मार्च, 2015 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड ग्यारसपुर को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(447-O)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/554.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015/1211, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,मदनपुर, पंजीयन क्रमांक 717, दिनांक 23 जनवरी, 2012 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,मदनपुर, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 717, दिनांक 23 जनवरी, 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/555.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./1219, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुठिलगंवा, पंजीयन क्रमांक 606, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुठिलगंवा, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 606, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-A)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/556.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./1218, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,आमातारा, पंजीयन क्रमांक 642, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,आमातारा, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 642, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-B)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/557.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./1217, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोयलारी, पंजीयन क्रमांक 643, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोयलारी, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 643, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च,.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-C)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/558.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./1220, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मढूरा, पंजीयन क्रमांक 598, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मढूरा, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 598, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-D)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/559.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./1213, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरा, पंजीयन क्रमांक 652, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरा, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 652, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-E)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/560.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015/1215, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बराखुर्द, पंजीयन क्रमांक 645, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बराखुर्द, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 645, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-F)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/561.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015/1216, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरेवा, पंजीयन क्रमांक 644, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरेवा, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 644, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-G)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/563.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015/373, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,शाहपुर, पंजीयन क्रमांक 638, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री आर. के. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,शाहपुर, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 638, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-H)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/562.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015/1214, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरौली, पंजीयन क्रमांक 648, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरौली, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 648, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-I)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/564.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015/1209, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध सहकारी समिति मर्या.,झिन्ना, पंजीयन क्रमांक 411, दिनांक 11 मई, 2004 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या.,झिन्ना, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 411,दिनांक 11 मई, 2004 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-J)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/565.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015/374, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध सहकारी समिति मर्या., निपनियां (बैलिहा), पंजीयन क्रमांक 639, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री आर. के. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या., निपनियां (बैलिहा), जिला सतना पंजीयन क्रमांक 639, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-K)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/566.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015/414, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध सहकारी समिति मर्या.,सोनवर्षा, पंजीयन क्रमांक 740, दिनांक 20 मार्च, 2012 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री आर. के. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या.,सोनवर्षा, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 740, दिनांक 20 मार्च, 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-L)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/567.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015/1206, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध सहकारी समिति मर्या.,जोधपुर पंजीयन क्रमांक 760, दिनांक 19 जून, 2012 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या.,जोधपुर जिला सतना पंजीयन क्रमांक 760, दिनांक 19 जून, 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-M)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/568.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015/373, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध सहकारी समिति मर्या.,वचवई, पंजीयन क्रमांक 686, दिनांक 05 जुलाई, 2011 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक .....द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या.,वचवई, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 686, दिनांक 05 जुलाई, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-N)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/569.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015/398, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मुड़हाकला, पंजीयन क्रमांक 694, दिनांक 05 मई, 2011 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री आर. के. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मुड़हाकला, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 694, दिनांक 05 मई, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-O)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/570.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015/397, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध सहकारी समिति मर्या.,भटगंवा, पंजीयन क्रमांक 687, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री आर. के. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या.,भटगंवा, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 687, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-P)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/571.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015/343, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नारायणपुर, पंजीयन क्रमांक 700, दिनांक 05 मई, 2011 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री आर. के. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नारायणपुर, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 700, दिनांक 05 मई, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-Q)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/572.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015/1210, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मढ़ा, पंजीयन क्रमांक 487, दिनांक 16 मई, 2004 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के.के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मढ़ा, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 487, दिनांक 16 मई, 2004 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-R)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/573.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015/1237, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मतहा, पंजीयन क्रमांक 674, दिनांक 31 जनवरी, 2011 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मतहा, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 674, दिनांक 31 जनवरी, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-S)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/574.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015/1234, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गढ़वाखुर्द, पंजीयन क्रमांक 779, दिनांक 25 अगस्त, 2012 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त कियां जाना उचित होगा.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गढ़वाखुर्द, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 779, दिनांक 25 अगस्त, 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(448-T)

सतना, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/575.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015/1232, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा संस्था दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बदरखां, पंजीयन क्रमांक 750, दिनांक 08 मई, 2012 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बदरखां, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 750, दिनांक 08 मई, 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. पी. पाल,
उप-रजिस्ट्रार.

(448-U)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला शहडोल

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/412.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमारी टोला, जिसका पंजीयन क्रमांक 1120, दिनांक 11 जनवरी, 2013 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (3) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमारी टोला, विकासखण्ड ब्योहारी, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अजय द्विवेदी, उप-अंकेक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री अजय द्विवेदी शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/413.—गंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निमिहा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1143, दिनांक 28 फरवरी, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (4) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के

अन्तर्गत गंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निमिहा, विकासखण्ड ब्योहारी, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अजय द्विवेदी, उप-अंकेक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री अजय द्विवेदी शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-A)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/414.—नर्मदा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चरका, जिसका पंजीयन क्रमांक 1142, दिनांक 28 फरवरी, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (5) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत नर्मदा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चरका, विकासखण्ड ब्योहारी, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अजय द्विवेदी, उप-अंकेक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री अजय द्विवेदी शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-B)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/415.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नगपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1136, दिनांक 28 फरवरी, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (6) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नगपुरा, विकासखण्ड बुढार, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. जैनुल आबदीन, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री एम. जैनुल आबदीन शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-C)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/416.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरिहा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1135, दिनांक 28 फरवरी, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (7) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन

दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरिहा, विकासखण्ड बुढार, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. जैनुल आबदीन, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री एम. जैनुल आबदीन शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-D)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/417.—लक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नौढिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 1145, दिनांक 28 फरवरी, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (8) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत लक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नौढिया, विकासखण्ड बुढार, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. जैनुल आबदीन, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री एम. जैनुल आबदीन शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-E)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/418.—राधेकृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुदरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1144, दिनांक 28 फरवरी, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (10) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत राधेकृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुदरी, विकासखण्ड जैसिंहनगर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह उइके,सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री सुरेन्द्र सिंह उइके शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-F)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/419.—गोवर्धन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आखेटपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1139, दिनांक 28 फरवरी, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (11) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत गोवर्धन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आखेटपुर, विकासखण्ड ब्योहारी, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री शंकर सिंह, उप-अंकेक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री शंकर सिंह शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-G)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/420.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नन्दटोला, जिसका पंजीयन क्रमांक 1137, दिनांक 28 फरवरी, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (12) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नन्दटोला, विकासखण्ड ब्योहारी, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री शंकर सिंह, उप-अंकेक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री शंकर सिंह शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-H)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/421.—गंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बदरचुआ, जिसका पंजीयन क्रमांक 1140, दिनांक 28 फरवरी, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (13) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के

अन्तर्गत गंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बदरचुआ, विकासखण्ड ब्योहारी, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री शंकर सिंह, उप-अंकेक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री शंकर सिंह शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-I)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/422.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खड्डा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1141, दिनांक 28 फरवरी, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (14) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खड्डा, विकासखण्ड ब्योहारी, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री शंकर सिंह, उप-अंकेक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री शंकर सिंह शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-J)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/423.—कान्हा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लपरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1148, दिनांक 04 अगस्त, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (15) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कान्हा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लपरी, विकासखण्ड जैसिंहनगर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह उइके,सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री सुरेन्द्र सिंह उइके शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-K)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/424.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रिमार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1149, दिनांक 04 अगस्त, 2015 है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (16) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रिमार, विकासखण्ड जैसिंहनगर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह उइके,सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री सुरेन्द्र सिंह उइके शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-L)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/425.—जय लक्ष्मी माँ दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मसियारी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1150, दिनांक 04 अगस्त, 2015 हैं. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (17) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत जय लक्ष्मी माँ दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मसियारी, विकासखण्ड जैसिंहनगर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह उइके,सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री सुरेन्द्र सिंह उइके शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-M)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/426—गंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चितरॉव, जिसका पंजीयन क्रमांक 1151, दिनांक 04 अगस्त, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (18) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत गंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चितरॉव, विकासखण्ड जैसिंहनगर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह उइके,सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री सुरेन्द्र सिंह उइके शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-N)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/427.—धन्यजय दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुबरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1152, दिनांक 04 अगस्त, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (19) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत धन्यजय दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुबरा, विकासखण्ड जैसिंहनगर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह उइके,सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री सुरेन्द्र सिंह उइके शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-O)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/428.—सत्यम् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमझोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1160, दिनांक 27 अगस्त, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (20) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत सत्यम् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमझोर, विकासखण्ड जैसिंहनगर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह उइके,सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री सुरेन्द्र सिंह उइके शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-P)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/429.—विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्या., न्यू आदर्श नगर सरसी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1033, दिनांक 11 जून, 2003 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (31) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के

अन्तर्गत विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्या., न्यू आदर्श नगर सरसी, विकासखण्ड ब्योहारी, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री शंकर सिंह, उप-अंकेक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री शंकर सिंह शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-Q)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/430.—विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्या., बरौधा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1032, दिनांक 11 जून, 2003 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (33) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होंता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्या., बरौधा, विकासखण्ड ब्योहारी, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री शंकर सिंह, उप-अंकेक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री शंकर सिंह शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-R)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/431.—सिंहवाहिनी बीज उत्पादन सहकारी समिति मर्या., शाहपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1122, दिनांक 05 जून, 2013 है.कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (37) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत सिंहवाहिनी बीज उत्पादन सहकारी समिति मर्या., शाहपुरा, विकासखण्ड बुढार, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. जैनुल आबदीन, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री एम. जैनुल आबदीन, शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-S)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/432.—मधुवन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुसरवाह, जिसका पंजीयन क्रमांक 1161, दिनांक 27 अगस्त, 2015 है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (21) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मधुवन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुसरवाह, विकासखण्ड जैसिंहनगर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मधुकर पेटकर, उप-अंकेक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री मधुकर पेटकर शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-T)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/433.—ठाकुर बाबा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मीठी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1159, दिनांक 27 अगस्त, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (22) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ठाकुर बाबा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मीठी, विकासखण्ड जैसिंहनगर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मधुकर पेटकर, उप-अंकेक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री मधुकर पेटकर शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-U)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/434.—कामधेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छपराटोला, जिसका पंजीयन क्रमांक 1158, दिनांक 27 अगस्त, 2015 है.कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (23) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कामधेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छपराटोला, विकासखण्ड जैसिंहनगर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मधुकर पेटकर, उप-अंकेक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री मधुकर पेटकर शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-V)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/435.—बजरंग दुग्ध घी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बुढवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1121, दिनांक 02 फरवरी, 2013 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (29) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत बजरंग दुग्ध घी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बुढवा, विकासखण्ड ब्योहारी, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विष्णुदत्त गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री विष्णुदत्त गुप्ता शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-W)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/436.—जै गोमाता दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सरवाही, जिसका पंजीयन क्रमांक 1155, दिनांक 27 अगस्त, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (28) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत जै गोमाता दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सरवाही, विकासखण्ड ब्योहारी, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री शंकर सिंह, उप-अंकेक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री शंकर सिंह शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-X)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/437.—गोपाल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कतिरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1153, दिनांक 27 अगस्त, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (27) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के

अन्तर्गत गोपाल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कतिरा, विकासखण्ड जैसिंहनगर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजेन्द्र मन्नेवार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री विजेन्द्र मन्नेवार शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-Y)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/438.—गोड़वाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चन्दोरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1154, दिनांक 27 अगस्त, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (26) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत गोड़वाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चन्दोरा, विकासखण्ड जैसिंहनगर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजेन्द्र मन्नेवार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री विजेन्द्र मन्नेवार शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(449-Z)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत].

क्र./परि./2016/439.—गौ लक्ष्मी दुग्ध उत्पादक समिति मर्यादित, बसोहरा, पंजीयन क्रमांक 1156, दिनांक 27 अगस्त, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (25) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत गौ लक्ष्मी दुग्ध उत्पादक समिति मर्यादित, बसोहरा, विकासखण्ड जैसिंहनगर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मधुकर पेटकर, उप-अंकेक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री मधुकर पेटकर शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(450)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/440.—दुर्गा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बराछ, जिसका पंजीयन क्रमांक 1157, दिनांक 27 अगस्त, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (24) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन

दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुर्गा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बराछ, विकासखण्ड जैसिंहनगर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मधुकर पेटकर उप-अंकेक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री मधुकर पेंटकर शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(450-A)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/441.—आदर्श महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., शहडोल जिसका पंजीयन क्रमांक 905, दिनांक 3 फरवरी, 1996 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (54) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत आदर्श महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., शहडोल, विकासखण्ड सोहागपुर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी.आर. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री डी.आर. सिंह शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(450-B)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/442.—महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., सोहागपुर वार्ड क्रमांक 04, जिसका पंजीयन क्रमांक 1049, दिनांक 29 जून, 2006 है, कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (53) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., सोहागपुर वार्ड कमांक 04 विकासखण्ड सोहागपुर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी.आर. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री डी.आर. सिंह शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(450-C)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/443.—कबीर कामगार सहकारी समिति मर्या., शहडोल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1066, दिनांक 22 फरवरी, 2008 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (52) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कबीर कामगार सहकारी समिति मर्या., शहडोल, विकासखण्ड सोहागपुर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी.आर. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री डी.आर. सिंह शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(450-D)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/444.—विराट ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., शहडोल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1082, दिनांक 27 जनवरी, 2010 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (51) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत विराट ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., शहडोल, विकासखण्ड सोहागपुर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती रंजना काशिरा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्रीमती रंजना काशिरा शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(450-E)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/445.—इंडियन क्रेडिट साख सहकारी समिति मर्या., शहडोल, जिसका पंजीयन क्रमांक 1134, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (49) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत इंडियन क्रेडिट साख सहकारी समिति मर्या., शहडोल, विकासखण्ड सोहागपुर जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश

सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती रंजना काशिरा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्रीमती रंजना काशिरा, शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(450-F)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/446.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., लालपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1146, दिनांक 9 अप्रैल, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (47) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., लालपुर, विकासखण्ड सोहागपुर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती रंजना काशिरा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्रीमती रंजना काशिरा शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(450-G)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/447.—माँ कंकाली महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., शहडोल, जिसका पंजीयन क्रमांक 02, दिनांक 20 मार्च,2014 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (46) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत माँ कंकाली महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., ढोलर विकासखण्ड जैसिंहनगर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती रंजना काशिरा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्रीमती रंजना काशिरा शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(450-H)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/448.—कोयामुरी आदिवासी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मलमाथर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1131,

दिनांक 9 दिसम्बर, 2014 है को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (45) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कोयामुरी आदिवासी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मलमाथर, विकासखण्ड गोहपारू, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री संजय सराफ, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री संजय सराफ शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(450-I)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/449.—ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पोड़ीकला रेउसा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1024, दिनांक 24 सितम्बर, 2013 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (44) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पोड़ीकला रेउसा, विकासखण्ड जैसिंहनगर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह उइके, सहकारिता विस्तार अधिकारी, को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री सुरेन्द्र सिंह उइके शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(450-J)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/450.—प्रियदर्शिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., निपनिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 1015, दिनांक 13 अगस्त, 2015 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (43) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत प्रियदर्शिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., निपनिया, विकासखण्ड सोहागपुर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं

मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ए.एल. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री ए.एल. गुप्ता शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(450-K)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/451.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., ढोलर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1083, दिनांक 4 फरवरी, 2010 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (42) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., ढोलर, विकासखण्ड जैसिंहनगर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजेन्द्र मन्नेवार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री विजेन्द्र मन्नेवार शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(450-L)

शहडोल, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/452.—किरण महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., आमडीह, जिसका पंजीयन क्रमांक 1009, दिनांक 24 नवम्बर, 2001 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/69 (39) शहडोल, दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा संस्था समय पर निर्वाचन न कराने एवं पंजीयन दिनांक से ही निष्क्रिय होने के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि सदस्यों को संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. संस्था उपविधि एवं पंजीयन शर्तों का पालन करने में असमर्थ है और भविष्य में भी संस्था द्वारा कोई कार्य किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत किरण महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., आमडीह, विकासखण्ड जैसिंहनगर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजेन्द्र मन्नेवार , वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री श्री विजेन्द्र मन्नेवार शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

बी.एस. परते,

(450-M) उपायुक्त (सहकारिता).

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

साक्षी वस्त्र उद्योग सहकारिता मर्या., दोरिया.

साक्षी वस्त्र उद्योग सहकारिता मर्या., दोरिया (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(451)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

मनका उद्योग सहकारिता मर्या., बेरखेडी.

मनका उद्योग सहकारिता मर्या., बेरखेडी (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(451-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

चौक निर्माण उद्योग सहकारिता मर्या., गुलाट.

चौक निर्माण उद्योग सहकारिता मर्या., गुलाट (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(451-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

चिकित्सा औधोगिक सहकारिता मर्या., छतरपुर.

चिकित्सा औधोगिक सहकारिता मर्या., छतरपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं

सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(451-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

जनकल्याण पोषण आहर उद्योग सहकारी समिति मर्या., छतरपुर.

जनकल्याण पोषण आहर उद्योग सहकारी समिति मर्या., छतरपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(451-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

राजीव काष्टकला उद्योग सहकारी समिति मर्या., छतरपुर.

राजीव काष्टकला उद्योग सहकारी समिति मर्या., छतरपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(451-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

अम्बेडकर श्रमठेका उद्योग सहकारी समिति मर्या., महराजपुर.

अम्बेडकर श्रमठेका उद्योग सहकारी समिति मर्या., महराजपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(451-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

राजमाता ईधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., मल्हराजपुर.

राजमाता ईधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महराजपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(451-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

स्पष्टि महिला ईधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महराजपुर.

स्पष्टि महिला ईधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महराजपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.

3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.

4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(451-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

हरिजन कुक्कुट सहकारी समिति मर्या., फुलारी.

हरिजन कुक्कुट सहकारी समिति मर्या., फुलारी (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.

3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.

4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(451-I)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

माँ महिला ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महराजपुर.

माँ महिला ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महराजपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(451-J)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

कनिका महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., खजुराहो.

कनिका महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., खजुराहो (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(451-K)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

जटाशंकर ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., बडामलहरा.

जटाशंकर ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., बडामलहरा (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.०
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(451- L)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

शिवानी महिला ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., करारागंज.

शिवानी महिला ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., करारागंज (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.

3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.

4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(451-M)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिजावर.

अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिजावर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.

3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.

4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(451-N)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

जय अवार मां बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घुवारा.

जय अवार मां बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घुवारा (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(451-O)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

श्रीराम नागरिक सहकारी समिति मर्या., छतरपुर.

श्रीराम नागरिक सहकारी समिति मर्या., छतरपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(451-P)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

उमा ईधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महराजपुर.

उमा ईधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महराजपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(451-Q)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

अन्नपूर्णा महिला कामगार उद्योग सहकारी समिति मर्या., छतरपुर.

अन्नपूर्णा महिला कामगार उद्योग सहकारी समिति मर्या., छतरपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.

3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.

4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(451-R)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण एवं संचालक मण्डल,

द्वारा-अध्यक्ष,

टिम्बर व्यवसाय सहकारी समिति मर्या., छतरपुर.

टिम्बर व्यवसाय सहकारी समिति मर्या., छतरपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में कार्यालय के निर्वाचन कक्ष एवं सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन न कराया जाना एवं संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है क्योंकि:—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.

3. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.

4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदानुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अखिलेश कुमार निगम,
डिप्टी रजिस्ट्रार.

(451-S)

कार्यालय परिसमापक मत्स्योद्योग, सहकारी संस्था मर्या., कोटा, जिला शिवपुरी

दिनांक 20 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कोटा, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 548, दिनांक 17 जून, 2009 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1004, दिनांक 16 मई, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 20 मई, 2016 मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(452)

कार्यालय परिसमापक माँ बैराजमत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कालामड़, जिला शिवपुरी

दिनांक 20 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

माँ बैराजमत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कालामड़, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 566, दिनांक 23 अप्रैल, 2011 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1003, दिनांक 16 मई, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 20 मई, 2016 मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(452-A)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अर्जुनगवां, जिला शिवपुरी

दिनांक 20 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अर्जुनगवां, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 252, दिनांक 08 मार्च, 1990 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 698, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 20 मई, 2016 मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(452-B)

कार्यालय परिसमापक आदिवासी सामुहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., डोंगर, जिला शिवपुरी

दिनांक 20 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

आदिवासी सामुहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., डोंगर, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 215, दिनांक 24 सितम्बर, 1970 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2842, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 20 मई, 2016 मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(452-C)

कार्यालय परिसमापक सम्पूर्ण प्रिंटर्स एवं स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिला शिवपुरी

दिनांक 20 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

सम्पूर्ण प्रिंटर्स एवं स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 525, दिनांक 02 मई, 2006 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1738, दिनांक 16 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 20 मई, 2016 मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(452-D)

कार्यालय परिसमापक सुगम साख सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिला शिवपुरी

दिनांक 20 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

सुगम साख सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 330, दिनांक 27 मई, 1977 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1740, दिनांक 16 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 20 मई, 2016 मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(452-E)

कार्यालय परिसमापक विद्युत मण्डल कर्मचारी निर्माण गृह सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिला शिवपुरी

दिनांक 20 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

विद्युत मण्डल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 256, दिनांक 23 अगस्त, 1990 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1741, दिनांक 16 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 20 मई, 2016 मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(452-F)

कार्यालय परिसमापक फल, साग-भाजी, उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिला शिवपुरी

दिनांक 20 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

फल, साग-भाजी, उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 372, दिनांक 09 जुलाई, 1986 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1737, दिनांक 16 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 20 मई, 2016 मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

मुकेश सक्सेना,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(452-G)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 18 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहाकरी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/945.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कम्हारियाराव, जिला देवास, पंजीयन क्रमांक-293, दिनांक 15 नवम्बर, 1976 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है)द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन न कराये जाने से संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी करते हुए निर्धारित समयावधि पश्चात् मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/16/855, देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर श्री व्ही. पी. द्विवेदी, पर्यवेक्षक, इन्दौर, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ मर्या., इन्दौर को परिसमापक बनाया गया था. परिसमापन आदेश उपरांत संस्था अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के गत निर्वाचन 10 जनवरी, 2012 को सम्पन्न होकर आगामी निर्वाचन के आवेदन की तिथि 10 जनवरी, 2017 तक है. अत: निर्धारित समयावधि में निर्वाचन न कराये जाने के आधार पर जारी किया गया परिसमापन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया है.

संस्था अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि गत निर्वाचन दिनांक 10 जनवरी, 2012 को होने से आगामी निर्वाचन आवेदन की तिथि 10 जनवरी, 2017 तक है. कार्यालय में तत्कालीन निर्वाचन कक्ष प्रभारी श्री एम. एस. सिद्दकी द्वारा त्रुटिवश उसे 10 जनवरी, 2016 लिख दिया गया था. मानवीय भूल होने एवं संस्था अध्यक्ष के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तिव में बने रहना आवश्यक है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकरी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कम्हारियाराव का परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए परिसमापन आदेश से पूर्व के निर्वाचित संचालक मण्डल को यथावत् रखता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

के. एन. त्रिपाठी
उप-पंजीयक.

(453)

कार्यालय उप-पंज़ीयक, सहकारी समितियाँ, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1.	अन्नपूर्णा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सोनकच्छ	1201/06-06-2008	844/30-04-2016
2.	श्वेताम्बरी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., देवास	1118/06-12-2006	845/30-04-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक, (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास से कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बंजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई हैं.

प्रेरणा जोमेकर,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(456)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी समितियाँ, जिला सीहोर

दिनांक 17 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के उल्लेखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) कं अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया:-

क्रमांक	नाम का संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जैत	1168/11-05-2001	क्र./परि/2016/731/ 04-08-2015
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हथनौरा	1175/29-03-2002	
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बकतरा	1192/04-10-2002	
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पांगरा	1231/20-05-2003	
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खनपुरा 01	1234/31-05-2003	
6.	सिंधु गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., सीहोर	180/13-03-1961	क्र./परि/2016/59/ 14-01-2016
7.	खेतीहर मजदूर कुक्कट पालन सहकारी संस्था मर्या., मगसपुर	1076/30-11-1985	
8.	उमाश्री मसाला उद्योग सहकारी संस्था, सीहोर	1146/02-05-2001	
9.	सवा लोहा काष्ठाकलां उद्योग सहकारी संस्था, सीहोर	1129/11-03-1999	
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थूनाखुर्द	1762/14-03-2014	क्र./परि/2016/167/ 09-02-2016
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंकरगंज	1786/12-08-2014	
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजौरी	1357/18-01-2007	
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या	1793/19-09-2014	क्र./परि/2016/403/ 22-04-2016
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नेहलाई (रेहटी)	1794/19-09-2014	
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिगांली	1795/29-09-2014	
16.	बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुलासकलां	1696/13-02-2013	
17.	बीज उंत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खामखेड़ा	1609/06-06-2012	
18.	वसुंधरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., राला	1585/09-01-2012	
19.	भूमि बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नसरूल्लागंज	1725/03-10-2013	

अत: मैं, एस. डी. राठौर, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर उक्त संस्थाओं का परिसमापक होने की हैसियत से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

एस. डी. राठौर,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(457)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार

धार, दिनांक 12 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/737.—आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., साकल्दा, तह. धरमपुरी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 991, दिनांक 15 जुलाई, 1996 है, कार्यालयीन जानकारी अनुसार संस्था वर्तमान में सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था

की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप पंजीयन दिनांक से कार्य संपादित नहीं कर रही है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) में निम्नानुसार प्रावधान हैं:—

(2) रजिस्ट्रार, स्वप्रेरणा से, किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा.

(ए/क) जहां उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा जहां उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो, या

(बी/ख) जहां रजिस्ट्रार की राय में वह सोसाइटी मुख्यत: किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य करती रही हो, या

(सी/ग) जहां उस सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन की किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बंद कर दिया हो.

संस्था के पंजीयन पश्चात् निम्न स्थिति वैधानिकता के प्रतिकूल पाई गई. जिसके कारण संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यालीन कारण बताओं सूचना पत्र क्र./परिसमापन/2016/616, धार, दिनांक 12 अप्रैल, 2016 जारी किया जाकर संस्था के शेष रहे 18 सदस्यों को प्रशासक के माध्यम से सूचना पत्र तामिल कराये गये. जिसमें 02 सदस्य श्री रावतिया बोन्दर दाबिया एवं श्री टूटलिया मोदसिंह पांजरिया फौत होने से सूचना-पत्र तामिल नहीं हुए. सदस्यों को अपना पक्ष समर्थन रखने हेतु दिनांक 30 अप्रैल, 2016 नियत की गई. सदस्य श्री कालू द्वारा पुन: अवसर चाहने पर अवसर दिया जाकर दिनांक 10 मई, 2016 नियत की गई. नियत दिनांक पर 15 सदस्यों ने उपस्थित होकर संयुक्त लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया व व्यक्तिगत सुनवाई में कहा गया कि हमारी जमीन डूब में गई है. हमारा भरण-पोषण तालाब से होता है. अत: निर्वाचन कराये जावें.

परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रस्तुत हुये कारणों, सदस्यों के जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई एवं दस्तावेजों के आधार पर विवेचना निम्नानुसार है:-

कारण यह प्रस्तुत हुआ कि कलेक्टर जिला धार के आदेश क्र./म./शि./2187, दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 से संस्था में कार्यक्षेत्र के बाहर के व्यक्तियों को सदस्य बनाये जाने की जांच हेतु तीन सदस्यीय गठित कमेटी में उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, तहसीलदार मनावर व सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला धार थे. इनके द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में संस्था में 55 में से 36 सदस्य कार्यक्षेत्र के बाहर के बनाये जाने व कार्यक्षेत्र के डूब प्रभावित व्यक्तियों की सदस्यता नहीं होने संबंधी घोर अनियमितता पाई थी.

सदस्यों का अपने जवाब में कहना है कि, 36 सदस्य जो कार्यक्षेत्र के बाहर के हैं एवं डूब प्रभावित नहीं होने संबंधी अनियमितता है, इसमें कार्यक्षेत्र साकल्दा तालाब प्रतापपुरा डाबिया पो. कालीबावडी होकर पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल के पत्र क्र./विविध/कृषि/05/484, भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 2005 के अनुसार जलाशय के 8 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले मछुआरे सदस्ता के पात्र होंगे. इसलिये मुख्यालय तालाब साकाल्दा से 8 किलोमीटर की परिधि में क्रमश: डाबिया, साकल्दा, पांजरिया, जामुनझिरी, छितरी, कालीबावडी, रणदा, जामन्याखुर्द, चिडीपुरा, करोंदिया उक्त ग्राम/मजरे संस्था कार्यक्षेत्र साकल्दा तालाब मुख्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत आते हैं. उक्त परिपत्र अनुसार 8 किलोमीटर की परिधि अंदर के सदस्य होने से सदस्य पात्र थे. जवाब में कुछ व्यक्तियों के नाम उल्लेख करते हुए उन्हें डूब प्रभावित होने से पात्र बताया जाकर जॉच प्रतिवेदन की अनियमितता दर्शायी हैं.

उक्त की विवेचना से यह स्पष्ट है कि पंजीयक के परिपत्रानुसार तालाब मुख्यालय के 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों को कार्यक्षेत्र में शामिल किया जा सकता है. किन्तु वे गांव संस्था की पंजीकृत उपविधि में कार्यक्षेत्र के रूप में पंजीकृत होना चाहिये. संस्था की उपविधि में पंजीकृत कार्यक्षेत्र साकल्दा (तालाब), प्रतापपुरा, डाबिया (03 ग्राम) पो. कालीबावडी ही हैं. शेष ग्राम पंजीकृत नहीं होने से जॉच कमेटी द्वारा अपात्रता निर्धारित की, जो उचित है. इस संबंध में संस्था को अपना पक्ष रखने हेतु जॉच के समय, धारा 53(1) की कार्यवाही की सुनवाई के दौरान व धारा 53(1) के आदेश के विरुद्ध अपील में भी पक्ष समर्थन हेतु अवसर दिया गया. किन्तु सदस्यों द्वारा संस्था के उक्त अधिनियम विरुद्ध कृत्य का कोई ठोस प्रतिवाद किसी भी स्तर पर प्रस्तुत नहीं हुआ व न ही संस्था के रिकार्ड से प्रमाणित हुआ. अत: संस्था की उक्त घोर अनियमितता हर सुनवाई के अवसर पर प्रमाणित ही हुई है.

कारण यह प्रस्तुत हुआ कि जॉच कमेटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 व संस्था उपविधि का घोर उल्लंघन भी पाया था, जिसमें संचालक मंडल की विधि अनुसार बैठकें नहीं होना. कोरम का आभाव होना, संचालकों द्वारा अपात्रता धारण करना, पंजीयन वर्ष 1996 से वर्ष 2006 तक लगातार आमसभा आयोजित होना नहीं पाया गया, समिति के सदस्यों द्वारा मत्स्य आखेट नहीं करना या शंकास्पद होना, डूब प्रभावितों का प्रमाण-पत्र नहीं देना, अध्यक्ष के पद हेतु अपात्र होना, संस्था का रिकॉर्ड एवं आवश्यक पंजियां संधारित नहीं होना, विभागीय निर्देशों का पालन नहीं होना, समिति द्वारा भ्रामक व असत्य जानकारी देना आदि आरोप कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./विधि/2008/73, धार, दिनांक 09 जनवरी, 2008 से दिये जाकर सुनवाई का अवसर एवं पक्ष समर्थन होने के पश्चात् सभी आरोप प्रमाणित होने से कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2008/193, धार, दिनांक 28 जनवरी, 2008 से तात्कालीन व्यवस्था के तहत प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी को अतिष्ठान में लाया जाकर सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, जिला धार को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. अतिष्ठित बोर्ड द्वारा न्यायालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर, संभाग इन्दौर में अपील प्रकरण क्र. 14/2008 से अपील की गई थी. माननीय न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 31 मार्च, 2012 में उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के उक्त पारित आदेश दिनांक 28 जनवरी, 2008 विधिसम्मत् पाये जाने की पुष्टि की तथा आदेश यथावत् रखा. जिससे उक्त विधि रिरुद्ध कृत्य प्रमाणित व उनकी पुष्टि न्यायालयीन निर्णयों से हुई है.

सदस्यों का अपने जवाब में कहना है कि प्रभारी अधिकारी संस्था के संचालक मंडल के स्थान पर प्रमुख होता है. जिसे 01 वर्ष की अवधि के लिये रखा जाता है व 01 वर्ष की अवधि में निर्वाचन करवाया जाना चाहिये. किन्तु विभाग व सहायक संचालक, मत्स्योद्योग द्वारा संगनमतता होकर जानबूझकर निर्वाचन नहीं कराये. धारा 18(क) का पंजीयन निरस्ती आदेश अपील में निरस्त हुआ है.

उक्त की विवेचना पश्चात् यह स्पष्ट है कि संस्था के संचालक मंडल द्वारा की गई अनियमितता के कारण प्रशासक द्वारा संस्था में नवीन निर्वाचन कराया जाना चाहिये. किन्तु संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से अधिनियम/नियम/उपविधियों के सतत् उल्लंघन से वह सदस्यों द्वारा संस्था में लाभ लिये जाना, रुचि रखना, संस्था के दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं होने से निर्वाचन की अनिवार्यता नहीं होकर परिसमापना की कार्यवाही ही योग्य है. इसके पूर्व संस्था को परिसमापन में लाने, संस्था को सीधे पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही प्रचलन में रही. जिससे प्रशासक द्वारा निर्वाचन कराया जाने की वैधानिक अनिवार्यता प्रस्तुत ही नहीं होती है. उक्त प्रस्तुत कारण में अधिनियम, नियमों, उपविधियों के उल्लंघन, दस्तावेजों के संधारण का अभाव, सदस्यों का हित के आरोपों का धारा 53(1) में कोई ठोस प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं होने, आरोप प्रमाणित पाये जाने व प्रस्तुत जवाब में भी उक्त आरोप का कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं हो ने से परिसमापन के कारण को पुष्ट करता है. अपील में 18 (क) का आदेश अधिकार प्रत्योजित नहीं होने के कारण निरस्त हुआ है. इस कार्यालय के आदेश क्र./परिसमापन/2012/1753 धार, दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 अंतर्गत म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18-ए/क (1) से संस्था का पंजीयन निरस्त कर दिया गया था. जिसे माननीय न्यायालाय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, इन्दौर, संभाग इन्दौर ने दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को अपील प्रकरण क्र. 32/2015 में उक्त पंजीयन निरस्ती आदेश इस आधार पर निरस्त किया कि उक्त धारा में उप पंजीयक को अधिकार प्रत्यायोजित नहीं हुए थे. परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती के उक्त पाये जा रहे ठोस तथ्य यथावत् मौजूद हैं. परिसमापन/पंजीयन निरस्ती हेतु उपस्थित हुए कारणों का निरसन इस आदेश में नहीं है.

कारण यह प्रस्तुत हुआ कि उक्त जांच एवं धारा-53 (1) में प्रमाणित पाये गये आरोपों यथा 55 सदस्यों में से 36 सदस्य कार्यक्षेत्र के बाहर के होकर अपात्र पायें जाने, रिकॉर्ड संधारित नहीं होने, पात्र सदस्यों को संस्था से वास्तविक लाभ होना प्रमाणित नहीं होने, शेष पात्र रहे 18 सदस्यों से पंजीयन की आवश्यक शर्त 20 विभिन्न परिवारों के सदस्य होने की पूर्ति नहीं होने, इन 18 सदस्यों में से भी 07 सदस्य संचालक/अध्यक्ष होने व इनके द्वारा धारा-53 (1) में पाये गये आरोपों के अनुसार अधिनियम, नियम, उपविधि के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लंघन करना पाये जाने व शेष 11 सदस्यों द्वारा भी उक्त अनियमितताओं के विरुद्ध कोई जागृति/रुचि नहीं होने से संस्था का दुर्व्यपदेशन से पंजीयन होना सदस्यों के हित में संपरिवर्तित नहीं होना प्रमाणित होता है.

सदस्यों का अपने जवाब में कहना हैं कि 18 सदस्यों में से 07 सदस्य 53(1) में पारित आदेश अनुसार उनकी 07 वर्ष की अपात्रता की कालावधि पूर्ण होकर पात्र हो चुके हैं. 18 सदस्यों में से 02 सदस्य की मृत्यु होने से उनके वारिसान हैं. 20 विभिन्न परिवार के सदस्य की पूर्ति वर्तमान में हो रही है.

उक्त की विवेचना पश्चात् यह स्पष्ट है कि सदस्यों द्वारा इसके कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं कि 02 वारिसानों को किस प्रस्ताव-ठहराव से कब सदस्यता दी जाकर सदस्यता पंजी में उनके नाम अंकित किये गये हैं. 18 सदस्यों मेंसे 02 सदस्यों की मृत्यु पश्चात् 16 सदस्य रहते हैं तो 20 सदस्य कैसे हुए. कोई आधार, प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया हैं. इसलिये पंजीयन की उक्त प्रारम्भिक एवं अनिवार्य शर्त की पूर्ति का भी पूर्णतः अभाव प्रमाणित होता हैं.

कारण यह प्रस्तुत हुआ कि संस्था द्वारा वर्ष 2008 से अनियमितताओं के कारण कोई तालाब पट्टे पर आवंटित नहीं हुआ व उक्त तालाब वर्तमान में आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., जामन्याखुर्द को वर्ष 2025 तक आवंटित होने से संस्था को कार्य उद्देश्य की पूर्ति भी विगत 08 वर्षों से नहीं होकर आगामी 09 वर्षों तक उक्त गठित तालाब पर उद्देश्य की पूर्ति होना संभव नहीं है.

सदस्यों का अपने जवाब में कहना है कि मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या. जामन्याखुर्द को तालाब पट्टे पर आवंटित किया गया है. किन्तु उसमें अधिनियम मत्स्य पालन नीति के विरुद्ध पंजीकृत की गई है. जिसमें विभिन्न परिवार के सदस्य न होकर एक परिवार के सदस्य हैं. धारा 8 के अंतर्गत प्राप्त विनिश्चय शक्ति के अंतर्गत जॉच की जाना आवश्यक है. इसमें खलघाट के 02 व्यापारी की मिलीभगत है.

उक्त की विवेचना पश्चात् यह स्पष्ट है कि सदस्यों के जवाब में संस्था के पास विगत 08 वर्षों से तालाब नहीं होना व आगामी 09 वर्षों के लिये भी उक्त तालाब आवंटित होने संबंधी स्थिति का अपने जवाब में कोई ठोस प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति लंबे समय से नहीं हो रही हैं व नहीं होना संभावित हैं.

सदस्यों का अपने जवाब में यह भी कहना है कि उन्हें उक्त आरोपीं के संबंध में कोई दस्तावेज सूचना-पत्र के साथ नहीं दिये गये. इस संबंध में यह उल्लेखनीय हैं कि संस्था की सतत् चली आ रही अनियमितताओं व अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध कृत्यों के लिये वर्ष 2008 से धारा 53(1) आदि में कार्यवाहियां प्रचलित रही हैं. तत्समय उन्हें उन आरोपों के विरुद्ध आवश्यक दस्तावेज, सुनवाई के अवसर आदि दिये गये हैं व अपीलीय न्यायालयों में उन आरोपों की पुष्टि भी हुई है. अतः यहां उक्त परिप्रेक्ष्य में कोई दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं रही है. उक्त आरोप प्रथम कार्यवाही के रूप में ही प्रस्तुत नहीं हुए हैं. सदस्यों को अपने जवाब के साथ जवाब से संबंधित जो दस्तावेज प्रस्तुत किये जाना चाहिए. जिनसे आरोपों का ठोस प्रतिवाद हो सके. वह कोई प्रस्तुत नहीं हुए है. सदस्यों द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं उनसे उक्त परिसमापन के कारणों के प्रतिवाद का कोई आधार नहीं हैं.

उपरोक्त स्थिति जो धारा-69 (2) (ए/क), (बी/ख), (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने के पुष्ट कारण एवं प्रमाण उपलब्ध होने से व कार्यालयीन विधि आदेशों, न्यायालयीन निर्णयों से भी पुष्टि हो चुकी है. अतः संस्था पंजीयन शर्तों के विपरीत होकर अधिनियम, नियम, उपविधि के प्रावधानों के अनुसार पंजीयन पश्चात् अनेक वर्षों तक संचालित नहीं होने व भविष्य में भी उद्देश्यों की पूर्ति होना संभावित नहीं होने से परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., साकल्दा, तहसील धरमपुरी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री संजय चतुर, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,
(458) उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 27 मई, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छतरपुर के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी समितियों का निम्न आदेश एवं दिनांक के तहत् परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया समितियां निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	प्रगतिशील बीज उत्पादक स्वा. सहकारिता मर्या., सिंगरावनखुर्द	42/28-12-2005	1375/23-09-2015
2.	कृषि सहकारी समिति मर्या., ठकुरपुरा	1241/22-02-2010	1402/23-09-2015
3.	सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., मिड़का	63/12-04-2003	1371/23-09-2015
4.	सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., बम्हौरीपुरवा	65/05-03-2003	1370/23-09-2015
5.	आदर्श तेल उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ठहनगा	60/25-09-1970	1372/23-09-2015
6.	किसान बीज उत्पादक स्वा. सहकारिता मर्या., नैगुवां	43/23-01-2006	1376/23-09-2015
7.	खुशबू ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., गढ़ीमलहरा	10/14-06-2004	1377/23-09-2015
8.	माँ शारदा प्राथ. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., बक्स्वाहा	1248/02-06-2010	1378/23-09-2015
9.	ग्या प्रसाद ईंधन आपूर्ति सह. समिति मर्या., लौड़ी	1046/20-09-2004	1373/23-09-2015
10.	जयहिन्द नागरिक सहकारी समिति मर्या., छतरपुर	1149/06-06-2008	1374/23-09-2015

अतः मैं, पी. एस. खुराना, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के उपनियम-57 (सी) के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण-पत्रों के मुझे लिखित रूप से उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें यदि निर्धारित समयावधि में दावे प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किए गए समझे जावेंगे.

पी. एस. खुराना,
(459) सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्थाओं का मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	पिछड़ा वर्ग महिला बहु. सह. संस्था मर्या., ऊमरी भिलौड़ी	488/04-03-2004	1666/08-11-2013
2.	महिला बहुउ्देशीय सह. संस्था मर्या., बीलवरा माता	500/07-08-2004	1667/08-11-2013
3.	महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., ककरई	506/08-10-2004	1668/08-11-2013
4.	अ. जा. श्रमिक कामगार सह. संस्था मर्या., भौंती	316/22-04-1995	1670/08-11-2013
5.	आदर्श साख सह. संस्था मर्या., तारकेश्वरी कॉलोनी, शिवपुरी	514/06-08-2005	1821/05-12-2013

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

सी. एल. मौर्य,
परिसमापक.

(460)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

गंगा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बासवा,

तहसील बडवाह, जिला खरगौन.

गंगा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बासवा, तहसील बडवाह, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1837, दिनांक 10 मार्च, 2014 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणत: सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर, पत्र जारी होने के दिनांक के 7 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(461)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जून, 2016-ज्येष्ठ 27, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2016

1. **मौसम एवं वर्षा.**--राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.-

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील ग्वालियर, डबरा, भितरवार (ग्वालियर), शिवपुरी, कोलारस (शिवपुरी), जतारा, बल्देवगढ़, पलेरा, ओरछा, (टीकमगढ़), लवकुशनगर, गौरीहार, नौगांव, राजनगर, बिजावर, बड़ामल्हरा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, पवई, (पन्ना), बीना, खुरई, बंडा, सागर, रेहली, राहतगढ़, केसली, शाहगढ़ (सागर), रघुराजनगर, मझगंवा, नागौद, उचेहरा, रामनगर, मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), गोपदवनास, सिंहावल, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), मंदसौर, धुन्धड़का (मंदसौर), शाजापुर, शुजालपुर, गुलाना (शाजापुर), सीहोर, आष्टा, नसरूल्लागंज, बुधनी (सीहोर), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, गौहरगंज, बरेली, सिलवानी, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), सीहोरा, जबलपुर, कुण्डम (जबलपुर), बिछिया, नैनपुर, मंडला, घुघरी, नारायणगंज (मंडला), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, सोंसर, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, चांद, हर्रई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.-तहसील छतरपुर, बक्सवाहा (छतरपुर), गुन्नौर (पन्ना), रामपुरबघेलान (सतना), जैतहरी (अनूपपुर), पाली (उमरिया), मंझौली (सीधी), निवास (मंडला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.-तहसील टीकमगढ़ (टीकमगढ़), मालथोन (सागर), अमरपाटन (सतना) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**- जिला दमोह व बड़वानी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**- जिला दमोह व बड़वानी में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति- . .

5. **कटाई.**- जिला मुरैना में फसल सरसों व खरगौन में गेहूँ व बुरहानुपर में चना, गेहूँ व भोपाल में गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तेवड़ा व पन्ना, सीधी, धार, इन्दौर, सीहोर, सिवनी व बालाघाट में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, बड़वानी, बुरहानपुर, भोपाल, रायसेन, डिण्डोरी व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

Aver (17-6-2016)

मौसम, फसल एवं पशु स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. सरसों की कटाई का का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .				
2. पोरसा	. .				
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .				
2. कराहल	. .				
3. विजयपुर	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	. .				
2. भिण्ड	. .				
3. गोहद	. .				
4. मेंहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग, तुअर, मूँगफली समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	0.4				
2. डबरा	1.8				
3. भितरवार	1.0				
4. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .				
2. दतिया	. .				
3. भाण्डेर	. .				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	3.0				
2. पिछोर	. .				
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	4.0				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

Aver (17.6.2016)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	5.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. टीकमगढ़	41.0				
5. बल्देवगढ़	6.0				
6. पलेरा	3.0				
7. ओरछा	2.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	15.0		4. (1) तिल अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	1.1		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	6.2				
4. छतरपुर	27.0				
5. राजनगर	13.6				
6. बिजावर	4.0				
7. बड़ामलहरा	12.8				
8. बक्सवाहा	21.2				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	16.8	का कार्य चालू है.	4. (1) तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	8.0		सरसों, अलसी, मसूर, मटर.	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	33.0		(2) . .		
4. पवई	4.0				
5. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	2.2		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	10.1		तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	13.4		आलू, प्याज कम.		
4. सागर	7.2		(2) . .		
5. रेहली	4.0				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	3.0				
9. केसली	2.0				
10. मालथोन	42.0				
11. शाहगढ़	12.0				

Acer (17-6-2016)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	11.4		4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, अलसी, मसूर, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगंवा	17.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. रामपुर-बघेलान	26.0				
4. नागौद	13.5				
5. उचेहरा	12.0				
6. अमरपाटन	35.0				
7. रामनगर	5.0				
8. मैहर	7.0				
9. बिरसिंहपुर	9.0				
15. जिला रीवा* :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. त्यौंथर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
16. जिला शहडोल*:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	22.3		4. (1) चना अधिक, राहर, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	4.4		(2) . .		
3. कोतमा	5.2				
4. पुष्पराजगढ़	13.3				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	11.2		4. (1) तुअर अधिक, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	19.5		(2) . .		
3. मानपुर	9.0				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	7.0		4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	12.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	20.8				
4. कुसमी	16.0				
5. चुरहट	17.2				
6. रामपुरनैकिन	12.5				

Acer (17-6-2016)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) मसूर, चना, राई-सरसों, जौ, गेहूँ अधिक. अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	4.0				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामउ	. .				
8. धुंधड़का	0.8				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक.गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मोहम्मद बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	1.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	0.2				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	0.1				

Acer (17-6-2016)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ* :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावट	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मूँगमोठ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .		(2) . .		
4. कुच्छी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
32. जिला खरगोन :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .	चालू है.	4. (1) मक्का, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		मूँगफली, अलसी, राई-	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		सरसों अधिक. ज्वार, धान,		
4. खरगोन	. .		तुवर, गेहूँ, चना कम.		
5. गोगांवा	. .		(2) . .		
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

Veer (17-6-2016)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. चना, गेहूँ की कटाई का	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .	कार्य चालू है.	4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, मसूर, मटर,	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	तेवड़ा की फसलों की	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .	कटाई का कार्य चालू है.	तेवड़ा अधिक.	चारा पर्याप्त.	
			(2) . .		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	7.0	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	6.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	. .				
4. नसरूल्लागंज	1.0				
5. बुधनी	5.0				

Acer (17-6-2016)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	2.4		4. (1) गेहूँ, तिल, लाख (तिवड़ा) अधिक. चना, मूँग कम. मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	5.4				
3. बेगमगंज	3.6				
4. गोहरगंज	12.4		(2) . .		
5. बरेली	7.0				
6. सिलवानी	5.0				
7. बाड़ी	6.0				
8. उदयपुरा	3.2				
41. जिला बैतूल* :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर अधिक. चना कम. तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .				
3. बावई	. .		(2) . .		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	5.4		4. (1) मटर अधिक. गेहूँ, चना, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .				
3. जबलपुर	1.8		(2) . .		
4. मझोली	. .				
5. कुण्डम	10.0				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर, मटर, जौ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .				
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) . .		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर* :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. गाड़रवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	34.0		4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	4.0		लाख, राई-सरसों, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	3.2		समान.		
4. मण्डला	6.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. घुघरी	1.1				
6. नारायणगंज	8.2				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) अलसी, गेहूँ, चना, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		मटर, लाख समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	2.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	5.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	14.4				
4. तामिया	. .				
5. सोंसर	4.0				
6. पार्ढुणा	. .				
7. अमरवाड़ा	11.4				
8. चौरई	12.8				
9. बिछुआ	1.3				
10. चांद	2.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
11. हर्रई	15.9		(2) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
12. मोहखेड़ा	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा,	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादोन	. .		उड़द, मूँग, अरण्डी, राई-		
4. बरघाट	. .		सरसों, अलसी, कुसुम,		
5. उरई	. .		सूरजमुखी.		
6. घंसोर	. .		(2) . .		
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.-*जिला रीवा, शहडोल, झाबुआ, बैतूल, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

राजीव रंजन
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(443)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री द्वारा प्रकाशित एवं शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016